# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार** (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 008/2016 (GCMS 2016/00086) | 28.04.2016 | 29.01.2021 |

**अनवान**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

**प्रार्थी**

**बनाम**

बाबरूपिता मोती गाडरी निवासी फलासिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ ।

**अप्रार्थी**

**–:: प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2002 ::–**

उपस्थिति :– श्री भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) प्रार्थी
एक तरफा अप्रार्थी

**–:: निर्णय ::–**

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उपखंड अधिकारी बड़ीसादड़ी द्वारा विपक्षी बाबरू पिता मोती गार्डन निवासी फलासिया को ग्राम फलासिया की आराजी संख्या 879/ 262 रकबा 0.42 हेक्टेयर भूमि का आवंटन मिसल संख्या 764/01 दिनांक 30.05.2002 को उपखंड अधिकारी बड़ीसादड़ी द्वारा किया गया। इस संबंध में परिवादी श्री उंकार पिता भोलीराम गाडरी द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 16274665784 दिनांक 27.01.2016 के क्रम में पटवार हल्का फलोदडा द्वारा मौका जांच की गई। पटवारी हल्का फलोदडा द्वारा रिपोर्ट मय अभिलेख प्रस्तुत कर अवगत कराया गया की आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से गैरखातेदारी भूमि को निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाने से अपीलार्थी तहसीलदार डूंगला भूमिधारी होने के नाते उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत कर रहा है। ग्राम फलासिया की आराजी संख्या 879/262 रकबा 0.42 हैक्टर भूमि का आवंटन श्री बाबरू पिता मोदी गाडरी निवासी फलासिया को किया गया, जो राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जा रही है। ताईद में नकल जमाबंदी, खसरा गिरदावरी संलग्न है। रि[illegible]पटवार हल्का फलोदडा पर्चा मौका दिनांक 10.02.201[illegible] आवंटन शर्तो की पालना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:13 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं करने से आवंटन निरस्त किया जाना उचित है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील स्वीकार पर में जाकर उपखंड अधिकारी बड़ीसादड़ी के मिसल संख्या 764/01 दिनांक 30.0.2002 को किया गया आवंटन को खारिज कर भूमि को अपने बिलानाम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं दिनांक 25.05.2016 को अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 11.03.2020 को अप्रार्थी की और से वकील विपक्षी के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी से मूल अभिलेख पत्रावली संख्या 764/2001 निर्णय दिनांक 30.05.2002 को तलब किया गया। इस पर प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार) चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/निर्वा/अभिलेखागार/प.प्रे./2017/24 दिनांक 27.02.2017 से प्रेषित किया गया जो कि रिकार्ड पर है।

दिनांक 28.01.2021 को राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को एकत तरफा सुना गया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि उपखंड अधिकारी बड़ीसादड़ी द्वारा विपक्षी बाबरू पिता मोती गार्डन निवासी फलासिया को ग्राम फलासिया की आराजी संख्या 879/ 262 रकबा 0.42 हेक्टेयर भूमि का आवंटन मिसल संख्या 764/01 दिनांक 30.05.2002 को उपखंड अधिकारी बड़ीसादड़ी द्वारा किया गया। इस संबंध में परिवादी श्री उंकार पिता भोलीराम गाडरी द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 16274665784 दिनांक 27.01.2016 के क्रम में पटवार हल्का फलोदडा द्वारा मौका जांच की गई। पटवारी हल्का फलोदडा द्वारा रिपोर्ट मय अभिलेख प्रस्तुत कर अवगत कराया गया की आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से गैरखातेदारी भूमि को निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाने से अपीलार्थी तहसीलदार डूंगला भूमिधारी होने के नाते उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत कर रहा है। ग्राम फलासिया की आराजी संख्या 879/262 रकबा 0.42 हैक्टर भूमि का आवंटन श्री बाबरू पिता मोदी गाडरी निवासी फलासिया को किया गया, जो राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जा रही है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से आवंटन निरस्त किया जाना उचित है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील स्वीकार पर में जाकर उपखंड अधिकारी बड़ीसादड़ी के मिसल संख्या 764/01 दिनांक 30.0.2002 को किया गया आवंटन को खारिज कर भूमि को अपने बिलानाम दर्ज करने का आदेश फरमावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली को निर्णय हेतु रिजर्व रखा गया।

पत्रावली बास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। मूल अभिलेख पत्रावली संख्या 764/2001 निर्णय दिनांक 30.05.2002 के अवलोकन से जाहिर आया है कि उक्त विवादित आवंटन को प्रार्थी उंकार पिता भोला गाडरी निवासी फलासिया द्वारा अप्रार्थी बाबरू पिता मोती गाडरी निवासी फलासिया एवं सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) के बाबत् पेश किया गया जो कि प्रकरण संख्या 017/2004 पर दर्ज रजिस्टर होकर गुणावगुण पर दिनांक 27.10.2005 द्वारा निर्णित किया जाकर अप्रार्थी के आवंटन को यथावत रखा गया है। अंतर्गत धारा 11 जा0दी0, 1908 में व्यवस्था की गई है कि –

**11 Res judicata— No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court .**

उक्त प्रश्नगत आवंटन आदेश के संबंध में यह न्यायालय विचार कर चुका है एवं इस प्रार्थना पत्र के प्रार्थी/निगराकार तहसीलदार डूंगला, पूर्व प्रकरण संख्या 017/2004 निर्णय दिनांक 27.10.2005 में अप्रार्थी संख्या 2 पक्षकार के रूप में संयोजित रहे है, ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0 1908 से बाधित होने से इसी न्यायालय में पोषणीय नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/निगराकार तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध बाबरू पिता मोती गाडरी निवासी फलासिया इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:13 IST
Reason: SelfAttested